

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	मृदा में जीवाश्म कार्बन बढ़ाये जाने हेतु ग्राम पंचायत आरक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष में एक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना प्रति इकाई लागत 8000 रू० तथा 75 प्रतिशत अनुदान लाभार्थी के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक ।
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स०वि०अ०कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाईट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।